न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **234 / 2023**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

सीमा देवी पत्नी शोकिन्द तेली निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– फल्लू देवी पत्नी नाथूलाल रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
2– रामेश्वर पुत्र हजारी कटवाल निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
3– प्रकाश पिता उगमा गुर्जर निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
4– भैरू पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
5– रामचन्द्र पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
6– छगना पुत्र हजारी गुर्जर निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
7– देबीलाल पुत्र बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
8– हेमराज पिता गोपाल गुर्जर निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
9– मु. उच्छबी पत्नी मोडा जाट निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री त्रिलोक चंद नौलखा**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **03/01/2024**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम फुलिया खुर्द पटवार हल्का फुलिया खुर्द** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 650 रकबा 0.27 है0, 675 रकबा 0.20 है0, 677 रकबा 0.22 है0, 681 रकबा 0.20 है0, 682 रकबा 0.21 है0, 683 रकबा 0.25 है0** कुल **किता 6** रकबा **1.35** हैक्टेयर की प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम फुलिया खुर्द पटवार हल्का फुलिया खुर्द संवत् 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **फुलिया खुर्द** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 675 रकबा 0.20 है0 की किस्म क्रमशः गेमु. रास्ता होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 5 रकबा 1.15 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी ~~2076 से 2079~~ किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **500/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **03/01/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–शाहपुरा (राज.)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा